संख्या-37/2018/375/52-4-2018-2(आ0/बजट)/2018

प्रेषक,

भवेश रजंन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

विषय- उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1826/अ0सं0आ0/2018-61वि0/ 2017, दिनांक 31.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-18/2018-192/52-4-2018-2(आ0/बजट)/2018,दिनांक 18 अप्रैल, 2018 द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-48 लेखाशीर्षक-" 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1,37,70,000.00(एक करोड सैतिस लाख सत्तर हजार मात्र) का 50 प्रतिशत अर्थात कुल धनराशि रू0 68,85,000.00 (अरसठ लाख पच्चासी हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त प्राविधानित धनराशि रू01,37,70,000.00 (एक करोड सैतिस लाख सत्तर हजार मात्र) में अवशेष धनराशि रू0 68,85,000.00 (अरसठ लाख पच्चासी हजार मात्र) स्वीकृति करते हुए अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

क्र.	मद का नाम	स्वीकृति धनराशि (रूपयें में)
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	11,00,000/-
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	57,85,000/-
	कुल-	68,85,000/- (अरसठ लाख पच्चासी हजार मात्र)

(1)- धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदर्शो के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग ''नई मदों/सेवाओं'' पर व्यय के लिए न किया जाय।

(3) - विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधारित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेशरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की प्रति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5)- धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय / उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपरोक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105 विशेष जॉच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-321/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-37 /2018/375(1)/52-4-2018तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन- लखनऊ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (वित्त व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in